

दिनांक 25-03-2021

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथीगण अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30-09-2019 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दोसा)